



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Phone No. 0141-2710978 / 2710897

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2023 /

दिनांक :

कार्यालय-आदेश

वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 में की गई अनुशंभा जो सिण्डीकेट प्रस्ताव संख्या 13-1.30 दिनांक 28.06.2023 द्वारा अनुमोदित है, की पालना में राजस्थान सरकार के लेखा नियमों के अनुरूप राजस्थान विश्वविद्यालय में अग्रिम समायोजन की अवधि दो माह के स्थान पर एक माह निर्धारित की जाती है। एक माह पश्चात 18 प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा।

S/-
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : लेखा एवं वित्त / 2023 / 2640-2730

दिनांक : 29/9/2023

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रप्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/विश्वविद्यालय केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त उप-कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Pj / Vaidh
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त